

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2012— पौष 16, शक 1933

## भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (शहरी विकास), जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 24 दिसम्बर 2011

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1) (ख) के अन्तर्गत संक्रमणशील क्षेत्र अर्थात् ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत करही एवं पाडल्याखुर्द को मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 60-एफ-1-36-2010-अठारह-3, भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011 द्वारा ग्राम पंचायत करही एवं पाडल्याखुर्द, जिला खरगोन के विनिर्दिष्ट क्षेत्र को मध्यप्रदेश राज्यपत्र असाधारण दिनांक 14 नवम्बर 2011 के पृष्ठ क्रमांक 978(2) पर अधिसूचित कर "नगर परिषद् करही, पाडल्याखुर्द," तहसील महेश्वर, जिला खरगोन का गठन किया गया है.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5(1) (ख) की अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र में हो जाने से मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम, 1993 की धारा 125 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर, जिला-खरगोन, एतद्द्वारा, ग्राम पंचायत करही एवं पाडल्याखुर्द, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन को आज दिनांक 24 दिसम्बर 2011 को विघटित करता हूँ.

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना एवं आदेश का प्रसारण ग्राम पंचायत क्षेत्र करही एवं पाडल्याखुर्द, जनपद पंचायत महेश्वर, तहसील महेश्वर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मण्डलेश्वर एवं कलेक्टर, कार्यालय के सहजदृश्य स्थानों पर चस्पा कर सर्वसाधारण के लिए (हिन्दी के समाचार पत्रों में) प्रकाशित किया जाता है.

नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर.